सत्यमेव जयते

# राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

## अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद संख्या–23 (लो0सू0अ0)/2022–23

श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता, ग्राम–शेकहारा–2, राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट–बरौनी–851112, जिला–बेगूसराय, बिहार

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

| आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि | आदेश फलक | |
|---|---|---|
| 06.06.2022 | श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता, ग्राम–शेकहारा–2, राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट–बरौनी–851112, जिला–बेगूसराय, बिहार के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–01.06.2022 इस कार्यालय में दिनांक–06.06.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 028040 दिनांक–अस्पट जो प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पक्ष में देय है, संलग्न है। इसे आवश्यक कार्रवाई हेतु लेखा शाखा को भेजे।<br>अपीलकर्त्ता श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–30.04.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना से असंतुष्ट होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।<br>साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–30.04.2022 की प्रति भी संलग्न की है।<br>लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–30.04.2022 से संबंधित अभिलेख की माँग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–. 21.06.2022 को उपस्थापित करें।<br>सभी संबंधित को सूचित करें।<br>6/6/2022<br>विशेष कार्य पदाधिकारी<br>–सह–<br>प्रथम अपीलीय प्राधिकार | |

## अपील वाद संख्या–23 / 2022–23

| आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि | आदेश फलक | |
|---|---|---|
| 21.06.2022 | लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी अपीलार्थी श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता, ग्राम–शेकहारा–2, राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट–बरौनी–851112, जिला–बेगूसराय, बिहार से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत समर्पित प्रपत्र 'क' दिनांक–30.04.2022, जो दिनांक–05.05.2022 को इस सचिवालय में पंजीकृत किया गया है। संलग्न प्रपत्र 'क' दिनांक–30.04.2022 में अपीलार्थी द्वारा दिये गए आवेदन दिनांक–21.10.2019 पर कृत कार्रवाई की सूचना की मॉग की गई है।<br>प्रशाखा पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि राज्यपाल सचिवालय के जन शिकायत कोषांग के पत्रांक–20 दिनांक–13.04.2022 के माध्यम से आवेदक से प्राप्त आवेदन एवं अन्य आवेदनों को लोक शिकायत निवारण केन्द्र, सूचना भवन, बेली रोड, पटना को भेजा गया है। विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्य लोक शिकायत प्राप्ति केन्द्र, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार ने अपने पत्रांक–96 दिनांक–09.05.2022 के माध्यम से अपीलार्थी का आवेदन को पत्र से संबंधित विषय बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम–2015 की अधिसूचित सेवाओं में सम्मिलित नहीं बताते हुए लौटाया गया है।<br>प्रशाखाा पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी ने पुनः राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक–87 दिनांक–20.05.2022 के माध्यम से विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्य लोक शिकायत प्राप्ति केन्द्र, सूचना भवन, पटना के पत्रांक–96 दिनांक–09.05.2022 को आवेदक को उपलब्ध करा दिया गया है।<br>उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अब जबकि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रपत्र 'क' में मॉगी गई सूचना के क्रम में उपलब्ध सभी सूचना का प्रेषण किया जा चुका है, तब प्रश्नगत अपील वाद में अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।<br>तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें।<br><br>**विशेष कार्य पदाधिकारी**<br>**–सह–**<br>**प्रथम अपीलीय प्राधिकार** | |

अपील वाद संख्या–23 / 2022–23

| आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि | आदेश फलक | |
|---|---|---|
| 21.06.2022 | लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी अपीलार्थी श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता, ग्राम–शेकहारा–2, राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट–बरौनी–851112, जिला–बेगूसराय, बिहार से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत समर्पित प्रपत्र 'क' दिनांक–30.04.2022, जो दिनांक–05.05.2022 को इस सचिवालय में पंजीकृत किया गया है। संलग्न प्रपत्र 'क' दिनांक–30.04.2022 में अपीलार्थी द्वारा दिये गए आवेदन दिनांक–21.10.2019 पर कृत कार्रवाई की सूचना की मॉग की गई है।<br>प्रशाखा पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि राज्यपाल सचिवालय के जन शिकायत कोषांग के पत्रांक–20 दिनांक–13.04.2022 के माध्यम से आवेदक से प्राप्त आवेदन एवं अन्य आवेदनों को लोक शिकायत निवारण केन्द्र, सूचना भवन, बेली रोड, पटना को भेजा गया है। विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्य लोक शिकायत प्राप्ति केन्द्र, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार ने अपने पत्रांक–96 दिनांक–09.05.2022 के माध्यम से अपीलार्थी का आवेदन को पत्र से संबंधित विषय बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम–2015 की अधिसूचित सेवाओं में सम्मिलित नहीं बताते हुए लौटाया गया है।<br>प्रशाखा पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी ने पुनः राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक–87 दिनांक–20.05.2022 के माध्यम से विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्य लोक शिकायत प्राप्ति केन्द्र, सूचना भवन, पटना के पत्रांक–96 दिनांक–09.05.2022 को आवेदक को उपलब्ध करा दिया गया है।<br>उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अब जबकि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रपत्र 'क' में मॉगी गई सूचना के क्रम में उपलब्ध सभी सूचना का प्रेषण किया जा चुका है, तब प्रश्नगत अपील वाद में अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।<br>तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें।<br>ह0/- 21/6/2022<br>**विशेष कार्य पदाधिकारी**<br>**–सह–**<br>**प्रथम अपीलीय प्राधिकार** | |

ज्ञापांक– 787/रा0 स0 (iii) दिनांक– 24.06.2022

**प्रतिलिपि:– लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/ श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता, ग्राम–शेकहारा–2, राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट–बरौनी–851112, जिला–बेगूसराय, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।**

ह0/- 23/6/2022

**विशेष कार्य पदाधिकारी**

o/c